झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

विषय :– "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017" की स्वीकृति।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा–3 सपठित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या G.S.R. 213 (E) दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका–9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बन/रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्त्तें, कार्यकलाप एवं अनुश्रवण के संबंध में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017 का गठन निम्नवत् किया जाता है–

अध्याय–I
(प्रारंभिक)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(i) इस आदेश का नाम "झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017" हैं।

(ii) यह आदेश झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ

(i) **'नियंत्रण आदेश'** से अभिप्रेत झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 है;

(ii) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10);

(iii) **'केन्द्रीय आदेश'** से अभिप्रेत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015;

(iv) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार;

(v) **'विभाग'** से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार;

(vi) **'खाद्य आयुक्त'** से अभिप्रेत है खाद्य आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार;

(vii) **'निदेशालय'** से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड;

(viii) **'निदेशक'** से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड के निदेशक;

(ix) **'अपील प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है उपायुक्त अथवा इस आदेश के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य प्राधिकारी;

(x) **'प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है राज्य सरकार में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून श्रेणी का पदाधिकारी;

(xi) **'निगम'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड;

(xii) **'सक्षम पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है किसी कार्य के लिये चिह्नित/जिला के उपायुक्त के द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के पदाधिकारी जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो;

(xiii) **'अनुज्ञापन पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी तथा इस आदेश के प्रावधानो के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकारी जो अपने प्रक्षेत्र में जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) होंगे;

(xiv) **'उचित मूल्य की दुकान'** से अभिप्रेत है ऐसी दुकान जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्डधारकों को इस आदेश के अधीन आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त हो;

(xv) **'उचित मूल्य की दुकान मालिक'** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति अथवा समूह जिन्हे, आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदत्त हों;

(xvi) **'सार्वजनिक वितरण प्रणाली'** से अभिप्रेत है वितरण की वह प्रणाली जिसके माध्यम से राशन कार्डधारकों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है;

(xvii) **'राशन कार्ड'** से अभिप्रेत है निम्नलिखित प्रकार के राशन कार्ड :—

(a) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को जारी किया राशन कार्ड (गुलाबी कार्ड)।

(b) अंत्योदय अन्न योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड (पीला कार्ड)।

(c) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी विशेष योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड।

(xviii) **'अन्त्योदय परिवार'** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत चिन्हित किये गए वैसे परिवार जिन्हें अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड जारी किया गया हो;

(xix) **'पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार'** से अभिप्रेत है अध्याय–II के खण्ड–4 में वर्णित परिवार;

(xx) **'पात्र आवेदक'** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो एवं जो राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय;

(xxi) **'आवंटन माह'** से अभिप्रेत है वह मास जिसके लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण हेतु खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है;

(xxii) **'राशन कार्ड सेवा केन्द्र'** से अभिप्रेत है प्रज्ञा केन्द्र अथवा/एवं प्रखण्ड तथा नगर निकाय मुख्यालय में अवस्थित ऐसा केन्द्र जो राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कार्रवाई हेतु संसूचित हो;

(xxiii) **'राशन कार्ड निर्गमन प्राधिकार'** से अभिप्रेत है जिला आपूर्ति पदा0/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति) अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी से न्यून न हो।

(xxiv) **'राज्य स्तरीय परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता'** से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के अधीन गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों तक आवश्यक वस्तुओं के हथालन एवं परिवहन हेतु नियुक्त अभिकर्त्ता;

(xxv) **'डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्त्ता'** से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के हथालन एवं परिवहन हेतु नियुक्त अभिकर्त्ता।

(xxvi) **'ई–पॉस मशीन'** से अभिप्रेत है लाभुकों की पहचान का सत्यापन एवं विक्रय के पारगमन हेतु उचित मूल्य की दुकानों पर अधिष्ठापित मशीन।

(xxvii) **'संपर्क पदाधिकारी (पी०एम०यू०)'** से अभिप्रेत है जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत उचित मूल्यों की दुकान के स्वचालन के प्रबंधन हेतु गठित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी०एम०यू०) का सदस्य जो संबंधित उचित मूल्य की दुकान हेतु उत्तरदायी हो।

(xxviii) **'निरीक्षी पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है अध्याय–VIII के धारा 35(i) के अन्तर्गत अधिसूचित पदाधिकारी।

अध्याय–II
(राशन कार्ड)

3. पात्रता

(i) केन्द्रीय आदेश के अन्तर्गत राज्य हेतु निर्धारित जनसंख्या का प्रतिशत की अधिसीमा में जनवितरण प्रणाली से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप–दण्डों के अनुसार पात्रता निर्धारित की जाएगी।

(ii) तीन प्रकार के गृहस्थ/व्यक्ति राशन कार्ड पाने के पात्र होंगे;

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को चालू किए गए अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के आलोक में चयनित परिवार।

(ख) पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ।

(ग) अन्य गृहस्थ जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लक्षित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा विचार किए जाने पर अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।

(iii) उपखण्ड (ii)(क) के लाभार्थी प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के भागी होंगे।

(iv) अन्त्योदय अन्न योजना के वर्तमान गृहस्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भी लाभार्थी बने रहेंगे यदि वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों के अन्तर्गत पात्र होते हैं।

(v) उपखण्ड (ii)(ख) में उल्लेखित पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह पाने के भागी होंगे।

4. # पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान

(i) खण्ड 3 के उपखण्ड (ii) (ख) में उल्लेखित पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थों की पहचान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अपवर्जन एवं समावेशन मानकों के आधार पर किया जाएगा।

(ii) **समावेशन मानक निम्नवत् होंगे :–**

(a) 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(b) सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।

(c) वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत न हों।

(d) सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।

(e) कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।

(f) सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।

उल्लेखित छः (06) समावेशन मानकों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया जाता है :–

(क) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper)।

(ख) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/ राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) /रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela Puller)।

(ग) फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

नोटः–समावेशन मानक के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों पर अपवर्जन मानक लागू नहीं होगा।

(iii) अपवर्जन मानक निम्नवत् होंगे :–

(a) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे

विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियाजित हो, अथवा;

(b) परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देते हैं, अथवा;

(c) परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा;

(d) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है, अथवा;

(e) परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा;

(f) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वॉशींग मशीन है, अथवा;

(g) परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा;

(h) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हैं।

(iv) अपवर्जन एवं समावेशन मानकों में राज्य सरकार/विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन किया जायेगा।

(v) अपवर्जन एवं समावेशन मानकों को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(vi) खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में उल्लेखित सभी प्रकार के गृहस्थों हेतु अलग–अलग राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा।

5. लाभार्थी के डाटा–बेस को सार्वजनिक पटल पर रखना

(i) राज्य सरकार अंकीकृत डाटा बेस में राशन कार्ड के डाटा का अनुरक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि नए राशन कार्ड को जारी करना एवं विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से किए जाएं, जिससे डाटा बेस स्वतः अद्यतन हो जाए।

(ii) राज्य सरकार लाभार्थियों की अंतिम सूची विभागीय बेव पोर्टल एवं ग्राम पंचायतों/नगर निकायों के सूचना पट्ट पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेगी कि कोटिवार लाभार्थियों की सूची स्वतः स्पष्ट हो।

6. राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली

(i) राशन कार्ड के प्रबंधन एवं अद्यतनीकरण हेतु एक वेब आधारित गतिशील राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली का संधारण किया जायेगा, जिसका उपयोग निम्न परिस्थितियों में किया जायेगा;

(क) वैसे लाभार्थी जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं, किन्तु किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, वे नए राशन कार्ड के निर्गमन हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन/राशन कार्ड सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन समर्पित करेंगे।

(ख) कार्ड के गुम हो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर लाभार्थी राज्य सरकार/विभाग द्वारा तय शुल्क के साथ राशन कार्ड की द्वितियक प्रति हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे। नए राशन कार्ड प्राप्त करने के एवज में क्षतिग्रस्त राशन कार्ड समर्पित करना होगा अथवा गुम हो जाने/क्षतिग्रस्त होने का शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।

(ग) अगर नया राशन कार्ड निर्गत करने के उपरान्त खोया हुआ पुराना राशन कार्ड मिल जाता है, तो नया राशन कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुराना राशन कार्ड,राशन कार्ड निर्गत करनेवाले पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ) राशन कार्ड की किसी भी प्रविष्टि में सुधार/बदलाव हेतु लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क के साथ समर्थन दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे।

(ड.) राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के डाटाबेस से लाभार्थी के स्वेच्छापूर्वक वापसी, उनके अपात्र होने की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा उनकी मृत्यु होने पर संबंधित लाभार्थी का नाम हटा दिया जायेगा।

(च) लाभार्थी परिवार के बँटवारे की स्थिति में राशन कार्ड के दो या अधिक कार्डों में बँटवारे हेतु लाभार्थी (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेगा। लाभार्थी को प्राप्त राशन कार्डों में से एक पुराने नम्बर एवं शेष नए नम्बरों से जारी किए जायेंगे।

(छ) लाभार्थी के 'अन्त्योदय परिवार' से 'पूर्वविक्ता परिवार' में स्थिति परिवर्तन होने पर राशन कार्ड हेतु लाभार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क अदायगी के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा। तदोपरान्त विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे पुराने राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड जारी किया जायेगा।

(ज) लाभार्थी विभागीय वेब पोर्टल से ई–राशन कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इसकी वैधता मात्र 90 दिनों तक ही होगी।

(ii) लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी हेतु निःशुल्क एस.एम.एस. एलर्ट प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है।

(iii) राशन कार्ड आवेदन के प्रसंस्करण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी –

(क) आवेदक को कम्प्यूटर जनित टोकन संख्या जारी होगा।

(ख) राशन कार्ड निर्गमन प्राधिकार के वेबसाईट पर आवेदन की सूचना प्राप्त होगी जिसका प्रिंट आउट लेकर वे सक्षम पदाधिकारी को जांच हेतु अग्रसारित करेंगे। सक्षम पदाधिकारी आवेदन के जाँचोपरान्त ग्राम पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करते हुए निर्गमन पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निर्गमन पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड जारी किया जायेगा, जिसका प्रिंट आउट ऑनलाईन प्राप्त किया जा सकेगा। भविष्य में ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकृत हो जाने की स्थिति में यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से भी की जा सकेगी।

7. अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान

(i) वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हों अर्थात् वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के उपखण्ड 4(iii)(iv) के अधीन निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है; तो उसके विरूद्ध निम्न कार्रवाई की जायेगी;

(क) आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी,

(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू–राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूल की जायेगी।

(ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियाजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जायेगी।

8. राशन कार्ड हेतु अन्य वैधानिक प्रावधान

(i) राशन कार्ड गृहस्थी की मुखिया के नाम से जारी किया जायेगा। प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी की मुखिया होगी :

परन्तु जहां किसी गृहस्थीं में किसी समय 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए पुरूष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया हो जायेगी।

(ii) राशनकार्ड में मुखिया तथा उनके सदस्यों के नाम, आयु तथा आवास का पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा। राशनकार्ड, कार्डधारी के आवास के क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकान से संबद्ध किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार/विभाग अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के लिए राशनकार्ड को किसी दुकान विशेष से संबद्ध करने के स्थान पर उस क्षेत्र के सभी उचित मूल्य की दुकानों से संबद्ध कर सकेगी।

(iii) नवीन राशनकार्ड धारक अथवा संशोधन के साथ वर्तमान राशन कार्ड धारक अगले माह से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

(iv) राशन कार्ड के लिए परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण एवं सही सूचना देना आवश्यक होगा।

(v) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वयं के नाम पर अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से पूर्व से राशन कार्ड निर्गत हो, के द्वारा नया राशन कार्ड के लिए न तो आवेदन दिया जाऐगा और न ही उनके द्वारा राशन कार्ड प्राप्त किया जायेगा। लाभार्थी परिवार के बँटवारें की स्थिति में खण्ड–6(i)(ड.) के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

(vi) राज्य सरकार अयोग्य/छद्म (बोगस) राशन कार्डों को रद्द करने प्रक्रिया की सत्त चालू रखेगी। इसमें पंचायती राज्य के निर्वाचित जन प्रतिनिधि के अलावा सम्बन्धित ज0वि0प्र0 विक्रेता को सूचना संग्राहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसी सूचक द्वारा गलत सूचना दिये जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अयोग्य/छद्म राशन कार्ड रद्द करने के लिए तय मानकों के अलावा सम्बन्धित प्रखण्ड/शहरी क्षेत्रों के वार्डों के नोडल पदाधिकारी/निर्गमन पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी को इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा स्थल जाँचोपरान्त ऐसे राशन कार्डो को रद्द किया जा सकेगा।

(vii) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड तब तक वैद्य रहेगा जब तक उसे रद्द नहीं कर दिया जाय या उसकी निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाय।

(viii) राशन कार्ड के आवेदनों पर झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली–2011 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि के अन्दर राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।

(ix) सामान्यतः राशन कार्ड पाँच वर्षों के लिए मान्य होगा। पाँच वर्षों के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा राशन कार्डों का नवीकरण किया जा सकेगा।

(x) राशन कार्ड पर राशन कार्ड धारक का स्पष्ट रूप से नाम, पूर्ण पता, उम्र, परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का पूर्ण नाम, उम्र तथा राशन कार्डधारक से संबंध एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम, जिसकी दुकान से उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी, उल्लिखित किया जायेगा।

(xi) कार्डधारकों को विभाग द्वारा प्रथम राशन कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(xii) इस आदेश के अधीन निर्गत राशन कार्ड राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी एवं उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित व्यक्ति/परिवार की होगी।

(xiii) अगर राशन कार्ड खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है, वैसी स्थिति में संबधित द्वारा सूचित किये जाने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर नया राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।

(xiv) विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों से आधार, बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या प्राप्त कर राशन कार्ड डाटाबेस में सीडिंग किया जायेगा। इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में लाभुक द्वारा इस आशय का शपथ–पथ समर्पित किया जायेगा।

(xv) राशन कार्ड का उपयोग पहचान या निवास के सबूत के दस्तावेज के रूप में नहीं किया जाएगा।

(xvi) राज्य सरकार इस खंड के अधीन सभी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर में या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित फील्ड और मानकों के अनुसार प्रतिधारित करेगी।

(xvii) राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं के ब्यौरे और सेवाओं के परिदान के लिए समय–सीमा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और राज्य के वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(xviii) राशन कार्ड अहस्तांतरणीय होगा।

(xix) लाभार्थी के आवासीय परिवर्तन की स्थिति में राशन कार्ड को समर्पित कर प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा एवं यदि वह पुनः नया कार्ड बनवाना चाहेगा तो उसे इस प्रमाण–पत्र के साथ नये राशन कार्ड के साथ पुनः आवेदन करना पड़ेगा।

अध्याय–III

(अनुज्ञापन)

9. जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन

(i) जन वितरण प्रणाली की नई दुकानों का आवंटन निम्नलिखित संस्थाओं /वर्गो को किया जायेगा जो कि संबंधित पोषक क्षेत्र की हो :

(क) महिला स्वयं सहायता समूह
(ख) महिला सहयोग समितियाँ
(ग) पैक्स/लैम्पस
(घ) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ
(ड.) वैसा समूह जिसके सभी सदस्य (10 या इससे अधिक) विकलांगता की परिभाषा में आते हैं। सभी की विकलांगता 40% से उपर की होनी चाहिए।

जन वितरण प्रणाली की दुकानों की आवंटन में ग्रेड–II महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी। इनके न रहने पर ग्रेड–I महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिमानता दी जायेगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन निम्नलिखित संस्थानों/वर्गों को नहीं किया जायेगा :–

(क) वैसे महिला स्वयं सहायता समूह महिला सहयोग समितियाँ, पैक्स/लैम्पस, भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ जो दिवालिया, घोषित हो चुकी हों।
(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दोषी करार दिये गये हों।

(iii) रिक्ति होने पर अनुज्ञप्तियाँ कंडिका 9(i) पर वर्णित संस्थानों/वर्गों को ही दी जा सकेगी।

(iv) जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी –

(क) समूह का निबंधन प्रमाण–पत्र,
(ख) समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का आवासीय प्रमाण–पत्र,
(ग) समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चरित्र प्रमाण–पत्र,
(घ) बैंक खाता,

(ड.) निर्धारित शुल्क,
(च) महिला स्वयं सहायता समूह की स्थिति में चक्रीय निधि प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।
(छ) विकलांग व्यक्तियों का समूह होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता प्रमाण–पत्र,
(ज) भूतपूर्व सैनिकों की समितियाँ होने की स्थिति में पेंशन प्रमाण–पत्र,
(झ) व्यापार स्थल के स्वामित्व से संबंधित राजस्व दस्तावेज या व्यापार स्थल किराया पर होने की स्थिति में कम–से–कम तीन वर्ष के लिए किरायानामा।
(ञ) लाभुक क्षेत्र के दो माह के लिए संभावित खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डारण क्षमता का शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र।

(v) वैसी जन वितरण प्रणाली दुकानों, जो किसी समूह की न हो, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(vi) राज्य सरकार/विभाग चाहे तो लिखित आदेश से कंडिका 9(i) से 9(v) तक अंकित प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है।

(vii) लगभग 1000 (एक हजार) जनसंख्या पर जन वितरण प्रणाली की एक अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। विभाग द्वारा समय–समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

10. जन वितरण प्रणाली दुकानों, किरासन तेल ठेला भेंडर, किरासन तेल थोक विक्रेता का अनुज्ञापन तथा विनियमन : –

(i) कोई भी व्यक्ति/संस्था जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का व्यापार तब तक नहीं कर सकेगा जब तक उसे इस कार्य हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त न हो।

(ii) उचित दर की दुकान के स्वामी को उक्त आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को अधिसूचित किया जायेगा तथा वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(iii) उचित दर दुकान के स्वामिओं को अनुज्ञप्ति उचित दर पर दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए जारी की जाऐगी।

(iv) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी उचित दर दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डधारकों की संख्या युक्तियुक्त हो, उचित दर दुकान इस प्रकार अवस्थित हो कि उपभोक्ता या राशन कार्डधारको को उचित दर दुकान तक पहुँचने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और पहाड़ी, जनजातीय और पहुँच के लिए ऐसे अन्य विकट क्षेत्र में उचित कवरेज प्रदान किया जाए। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने हेतु साधारनतया 3 किलोमीटर एवं दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी क्षेत्र जहाँ आवागमन का कोई रास्ता नहीं हो) में 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करना पड़े।

(v) जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित समस्त कार्यकलाप नियंत्रण आदेश के तहत नियंत्रित होंगे। नियंत्रण आदेश निर्गत की तिथि से बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश 1984 लागू नहीं होगा। जो अनुज्ञप्तियाँ बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश 1984 के अंतर्गत निर्गत की जा चुकी हैं, वे अनुज्ञापन अवधि में वैध मानी जायेंगी, परन्तु उनका नवीकरण नियंत्रण आदेश के तहत् किया जायेगा ।

(vi) नयी दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए उपायुक्त के अनुमोदनोपरान्त वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा एवं आवेदकों द्वारा विहित प्रपत्र–I में संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जायेगा ।

(vii) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन विहित प्रपत्र–III में कंडिका–13(ii) में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(viii) आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किए जाने के साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आवेदन पत्र की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कराई जायेगी। सक्षम पदाधिकारी जाँचोपरान्त ग्राम पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उचित मूल्य के दुकानों एवं किरासन तेल ठेला भेंडरों की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

(ix) किरासन तेल थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किए जाने के साक्ष्य के साथ आवेदन उपायुक्त को समर्पित किया जायेगा। उपायुक्त आवेदन को जाँच हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे, जिनकी अनुशंसा पर उपायुक्त के द्वारा अनुज्ञप्ति (प्रपत्र–VII) निर्गत की जायेगी।

(x) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकृत किये जाने के एक माह के अन्दर सभी अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(xi) निलम्बन अवधि में अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं होगा। निलम्बन समाप्ति के उपरान्त एकमुश्त नवीकरण शुल्क जमा कराकर अनुज्ञप्ति को नवीकृत किया जा सकेगा।

(xii) प्रत्येक अनुज्ञप्ति, निर्गत अथवा नवीनीकृत, में वस्तु/वस्तुओं जिसका व्यापार किया जाना है तथा व्यापार स्थल जहाँ अनुज्ञप्तिधारक डीलर के रूप में कार्य करेगा, का स्पष्ट विवरण अंकित रहेगा।

(xiii) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदक को पुरानी अनुज्ञप्ति के अवसान के 45 दिनों पूर्व अनुज्ञप्ति की मूल प्रति के साथ आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा।

(xiv) अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु समर्पित आवेदन निर्धारित समय सीमा में निस्तारित कर दिया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा तय समय सीमा मे आवेदन समर्पित कर दिया जाता है एवं उसे अस्वीकार नहीं किया जाता है तो आवेदन के निष्पादन होने तक उनकी अनुज्ञप्ति वैध मानी जायेगी।

(xv) विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी एवं उनके अधिकार–क्षेत्र निम्नवत् होंगे –

क्र० सं०	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुज्ञापन पदाधिकारी	अधिकार क्षेत्र
1	उचित मूल्य की दुकान	संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति)	जिला/क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाना है।
2	किरासन तेल ठेला भेंडर		
3	किरासन तेल थोक विक्रेता	उपायुक्त	जिला, जिसके अन्तर्गत विक्रेता की नियुक्ति की जानी है।

(xvi) राज्य सरकार उचित दर दुकान के स्वामी के लिए कमीशन की रकम नियत करेगी जिसे आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।

(xvii) राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित दर दुकान के स्वामियों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए अनुज्ञात करेगी।

11. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पात्रता

कोई भी विक्रेता जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा यदि उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किसी

भी वस्तु अथवा उस वस्तु से निकट रूप से संबंधित किसी अन्य वस्तु में निजी व्यापारिक हित हो।

व्याख्या :– इस उपखण्ड के निमित्त –

(i) व्यापारिक हित से अभिप्रेत है व्यापार, साझेदारी एवं किसी व्यवसायिक भवन में मकान–मालिक एवं किराएदार का रिश्ता।
(ii) डीजल एवं पेट्रॉल, किरासन से निकट रूप से संबंधित माने जायेंगे।
(iii) परिवार से अभिप्रेत है व्यक्ति, स्वयं, उसका/उसकी पति/पत्नी, उनके विवाहित/अविवाहित बच्चे एवं आश्रित माता–पिता।

यह कि इस उपखण्ड के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की जायेगी जबकि संबंधित विक्रेता/अभिकर्त्ता या उनके परिवार का कोई सदस्य, जैसा उपयुक्त हो, इस आदेश के लागू होने के तीन माह के अन्दर अपने निजी व्यवसायिक हित का परित्याग कर देता है।

यह भी कि जिला को आवंटित किरासन तेल का वितरण जन वितरण प्रणाली दुकानदारों एवं ठेला भेंडरों के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु विभाग समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करेगा।

यह भी कि किरासन थोक विक्रेता, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं ठेला भेंडरों को उपायुक्त के निर्देशानुसार किरासन तेल वितरित करेगा।

12. अनुज्ञापन पदाधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन

(i) नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू कराने के साथ–साथ जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के विक्रेता को अनुज्ञप्ति निर्गत/स्वीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन कराने, अनुज्ञप्ति को निलंबित करने एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने की शक्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी में निहित रहेंगी।
(ii) अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएँगी। निरीक्षी पदाधिकारी (कंडिका–35(i) के अन्तर्गत परिभाषित) से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में केवल अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा ही उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता से कारण पृच्छा कर उचित कार्रवाई की जायेगी।
(iii) अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किसी भी अनुज्ञप्ति को निरस्त अथवा नवीकरण हेतु आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, यदि;
    (क) अनुज्ञप्तिधारी का पूर्व प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा हो,
    (ख) अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो,
    (ग) अनुज्ञप्तिधारक के ऐसे व्यावसायिक हित हो जो जन वितरण प्रणाली की दुकान को सुचारू रूप से चलाने में बाधक हो।

13. अनुज्ञप्ति की अवधि एवं प्रदेय शुल्क

(i) इस आदेश के अन्तर्गत निर्गत अनुज्ञप्ति तीन कैलेन्डर वर्ष के लिए वैध होगी एवं प्रति तीन वर्ष पर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जायेगा।

व्याख्या :– कैलेन्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि।

(ii) प्रत्येक अनुज्ञप्ति हेतु तीन वर्षों के लिए प्रदेय शुल्क निम्नवत् होगा;

क्र0 सं0	अनुज्ञप्ति का प्रकार	जन वितरण प्रणाली विक्रेता	किरासन तेल ठेला भेंडर	किरासन तेल थोक विक्रेता
1	नई अनुज्ञप्ति	2000	1000	5000
2	नवीनीकरण	2000	1000	5000
3	द्वितीयक	1000	500	2000

(iii) उपयुक्त राशि में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

(iv) उपर के कंडिका में विनिर्दिष्ट शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजस्व मद में सरकार के खाते में जमा किया जायेगा अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में समर्पित किया जायेगा।

(v) अनुज्ञप्ति के निलंबित या रद्दीकरण अथवा त्याग–पत्र की स्थिति में अनुज्ञप्ति शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। यह राशि जब्त मानी जायेगी।

14. प्रतिभूति जमा

(i) प्रत्येक आवेदन के द्वारा नई अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा प्रतिभूति राशि जमा की जायेगी जिसकी अनुज्ञप्ति निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	अनुज्ञप्ति का प्रकार	प्रतिभूति राशि (रूपये)
1	किरासन तेल ठेला भेंडर	1000
2	उचित मूल्य की दुकान	10,000
3	किरासन तेल थोक विक्रेता	1,00,000

(ii) उपयुक्त राशि में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) प्रतिभूति राशि निम्न उपायों से जमा की जा सकती है;
   (क) अनुज्ञापन पदाधिकारी के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से,
   (ख) राजस्व मद में ट्रेजरी चलान के माध्यम से,

(iv) अनुज्ञप्ति के निलंबित या रद्दीकरण की स्थिति में प्रतिभूति राशि वापस नहीं किया जायेगा। यह राशि जब्त मानी जायेगी। अनुज्ञप्ति के त्याग–पत्र की स्थिति में प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जायेगी।

15. अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण

जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी ।

16. एकरारनामा

जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारक द्वारा में राज्य सरकार के साथ एकरारनामा किया जायेगा। एकरारनामा के उपरांत ही अनुज्ञप्तिधारक को प्रपत्र–II में दुकान आवंटन आदेश एवं खाद्यान्न वितरण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

17. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र

अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा सभी अनुज्ञप्तिधारी को उचित पहचान पत्र परिशिष्ट–III के अनुसार निर्गत किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहचान पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र परिशिष्ट–IV के अनुसार निर्गत किया जायेगा।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

18. अनुज्ञप्ति में परिवर्तन

(i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण अथवा अनुज्ञप्ति में वर्णित व्यापार स्थल से भिन्न स्थल पर व्यापार करना चाहते है, तो वैसी स्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा।

(ii) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जाँचोपरांत अनुज्ञप्ति में अंकित व्यापार स्थल में आवश्यक परिवर्तन करने अथवा उसे अस्वीकृत करने के संबंध में लिखित आदेश देंगे तथा इसकी प्रविष्टि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञापन एवं कार्यालय से संधारित अनुज्ञापन पंजी में की जायेगी।

19. उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं को देय कमीशन

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं को देय कमीशन का भुगतान आवश्यक वस्तुओं के उठाव/वितरण की समाप्ति के दो माह के अन्दर कराने का दायित्व अनुज्ञापन पदाधिकारी का होगा।

अध्याय–IV
(अनुज्ञप्तिधारियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व)

20. उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति धारकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

(i) उचित मूल्य दुकान का संचालन आवंटित व्यक्ति/संस्था अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

(ii) राशन कार्डधारकों की हकदारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जायेगा; साथ ही विक्रेता लाभुकों को वितरित की गई सामग्री का रसीद सुपुर्द करेगा।

(iii) कोई राशन कार्डधारक, जो उचित मूल्य की दुकान के मालिक के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, दुकान मालिक को निर्धारित रू0 10/–(दस) फीस एवं बाजार दर पर फोटो कॉपी की लागत जमा कर लिखित अनुरोध कर सकेगा । अनुरोध और विनिर्दिष्ट फीस प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर उचित मूल्य दुकान का स्वामी राशन कार्डधारक को ऐसे अभिलेख का उद्धरण प्रदान करेगा;

(iv) दुकान के प्रमुख स्थान पर दैनिक आधार पर निम्नलिखित के सम्बंध में सूचना– पट्ट पर जानकारी संप्रदर्शन करना :–
   - (क) पूर्विक्ता प्राप्त गृहस्थ एवं अंत्योदय लाभान्वितों की सूची
   - (ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की हकदारी
   - (ग) माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक
   - (ध) आवश्यक वस्तुओं का आरंभिक और अंतिम स्टॉक
   - (ड.) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा की बाबत शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र सहित प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
   - (च) टॉल फ्री हेल्पलाईन न0;

(v) राशन कार्डधारकों के पंजी, निर्गम एवं विक्रय पंजियों का रख रखाव करना;

(vi) इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अभिलेखों यथा राशन कार्ड पंजी, भण्डार पंजी (प्रपत्र–IV), वितरण पंजी (प्रपत्र–V) इत्यादि को निरीक्षी पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रस्तुत किया जाना;

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

(vii) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदान किये जा रहे खाद्य पदार्थो के सैम्पल का संप्रदर्शन करना;

(viii) निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन एवं वितरण से संबंधित पंजियों एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराना और ऐसी जानकारी प्रस्तुत किया जाना जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा माँग की जायें;

(ix) माह के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अतिशेष स्टॉक का हिसाब मासिक प्रतिवेदन (प्रपत्र–VI) के माध्यम से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दिया जाना और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाना;

(x) सूचना– पट्ट पर संप्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित कीमत की दुकान को खोला जाना और बंद किया जाना।

(xi) उचित मूल्य दुकान पर ई–पॉस मशीन का उपयोग करते हुए जन वितरण प्रणाली के सभी पारगमन संपन्न करना।

(xii) ई–पॉस मशीन में खराबी/व्यवधान आने पर संबंधित संपर्क पदाधिकारी (पी०एम०यू०) को अविलंब सूचना देना। संपर्क पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचित करना।

(xiii) प्रतिस्थापन/व्यपवर्तन/अपमिश्रण को रोके जाने के उद्देश्य से, आवंटिती संस्था को ऐसे भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना एवं उनका नियमित संधारण करना होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(xiv) प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति धारक जो किसी बाट या माप का किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा जिसका सत्यापन अपेक्षित है।

(xii) उचित मूल्य दुकान अनुज्ञप्तिधारी ऐसा नहीं करेगा;

(क) राशन कार्डधारकों को जन वितरण प्रणाली के अधीन भण्डार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं का उसकी हकदारी के अनुसार प्रदाय करने से इन्कार किया जाना।

(ख) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने के पश्चात् राशन कार्ड संबंधित व्यक्ति को वापस नहीं करना।

(ग) राशन कार्ड धारी को विक्रित की गई सामग्री को उचित मूल्य दुकान के परिसर में रखना।

(घ) राशन कार्ड अथवा वितरण/स्टॉक/मिलान पंजी अथवा किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज में फर्जी अभ्युक्ति अंकित करना।

(ड.) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करना अथवा खुले बाजार में फेर देना।

(च) उचित मूल्य की दुकान को किसी अप्राधिकृत व्यक्ति/संस्था को हस्तांतरित करना अथवा किराए पर देना।

(छ) अनुज्ञापन पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्यावधि के दौरान दुकान बन्द रखना।

(ज) स्वेच्छापूर्वक ई–पॉस का उपयोग किए बिना खाद्यान्न का वितरण करना।

(झ) बिना सत्यापित एवं मुहरांकित माप–तौल उपकरणों के खाद्यान्न, किरासन तेल इत्यादि का वितरण करना।

(xiii) उचित मूल्य की दुकान पर किरासन तेल वितरण से संबंधित प्रावधान;

(क) उचित संख्या में तेल के ड्रम की व्यवस्था करना।

(ख) तेल के ड्रम को पीला रंग से रंगना एवं ड्रम पर डीलर का नाम एवं लाईसेंस संख्या काले रंग से अंकित करना।

(ग) तेल के ड्रम को आर.सी.सी. छतयुक्त पक्का मकान में रखना एवं अग्नि सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध करना यथा—दुकान के अंदर अग्निशामक यंत्र अथवा बाल्टी में बालू भर कर दुकान के बाहर टांगना आदि।

(xiv) उचित मूल्य की दुकान में संचालन हेतु अन्य प्रावधान;

(क) उचित मूल्य की दुकानों का रंग हरा होगा;

(ख) अनुज्ञप्ति में वर्णित कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा;

(ग) सूचना—पट्ट परिशिष्ट—I के अनुसार रखा जायेगा;

(घ) मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन—पट्ट परिशिष्ट—II के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा;

(ङ.) परिशिष्ट—III के अनुसार निर्गत पहचान पत्र रखा जायेगा;

(च) माप—तौल उपकरणों का सत्यापन प्रमाण—पत्र प्रदर्शित किया जायेगा;

21. जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की कार्य अवधि एवं अवकाश एवं उचित मूल्य के दुकान का आकार

(i) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान निगोशियेबल इंस्ट्रूमेन्ट ऐक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश एवं साप्ताहिक बंदी सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे से 2 बजे अपराहन तक खुली रहेगी। अपरिहार्य कारणों से यदि उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता एक सीमित अवधि के लिए दुकान संचालन में असमर्थ हो तो उसके द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा, जिनके द्वारा इसकी सूचना अनुज्ञापन पदाधिकारी को दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत ही उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उक्त अवधि के लिए दुकान बंद रखने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ii) प्रतिमाह के 1ली तारीख से 4थी तारीख तक सॉफ्टवेयर, केन्द्रीय सर्वर अपडेट, ई—पॉस मशीन में डाउनलोड किया जाना है। अतः प्रतिमाह 1ली तारीख से 4थी तारीख तक जन वितरण प्रणाली दुकान वितरण हेतु बंद रहेगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान का न्यूनतम आकार इस प्रकार का होगा जिससे कम से कम दो माह की आवश्यकता के बराबर खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का भन्डारण किया जा सके।

(iii) उचित मूल्य की दुकान के सामने इतना खुला स्थान अवश्य होना चाहिए जिसमें पंक्तिवद्ध होकर महिला एवं पुरूष राशन कार्डधारक आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर सकें।

22. किरासन तेल थोक विक्रेता के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

(i) किरासन तेल थोक विक्रेता के निम्नांकित कर्त्तव्य होंगे;

(क) तेल कम्पनी से जन वितरण प्रणाली में वितरण हेतु आवंटन माह का किरासन तेल प्राप्त कर विनिर्दिष्ट स्थल पर रखना।

(ख) उचित मूल्य की दुकानों एवं ठेला भेंडरों की मांग के फौरन बाद अथवा जिला प्रशासन के निदेशानुसार पंचायत मुख्यालय स्तर पर किरासन तेल उपलब्ध कराना; वशर्ते इन खुदरा व्यापारियों द्वारा किरासन तेल के मूल्य का भुगतान कर दिया गया हो एवं मिलान पंजी में आवश्यक प्रविष्टि कर ली गई हो।

(ग) राज्य सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित पंजी एवं अभिलेख संधारित करना।

(घ) निरीक्षी पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन एवं वितरण से संबंधित पंजियों एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराना और ऐसी जानकारी प्रस्तुत किया जाना जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा माँग की जाय।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

(ड.) राज्य सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अभिप्रमाणित बाट एवं माप रखना।

(च) व्यापार स्थल पर प्रवेश द्वार के निकट किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर निम्नांकित सूचनाएँ प्रदर्शित करना;

(a) दुकान खुलने की अवधि (10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक)

(b) दुकान बंदी का दिन (साप्ताहिक एक दिन)

(c) दैनिक आधार पर आरंभिक स्टॉक, प्राप्त मात्रा, विक्रय की मात्रा एवं अंतिम स्टॉक

(d) किरासन का निर्गम मूल्य

(e) विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या

(छ) राज्य सरकार/अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा द्वारा निर्धारित विधि से लेखा संधारण करना एवं निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत करना।

(ज) डिमाण्ड ड्राफ्ट, चेक अथवा एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किरासन का मूल्य प्राप्त होने के पश्चात् खुदरा विक्रेता को क्रमबद्ध तरीके से संधारित कैश मेमो प्रदान करना।

(झ) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदान किये जा रहे किरासन तेल के सैम्पल का संप्रदर्शन करना।

(ञ) तेल कम्पनियों द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत, वैज्ञानिक विधि से किरासन का भंडारण करना।

(ii) **किरासन तेल थोक विक्रेता ऐसा नहीं करेगा;**

(क) व्यापार अवधि में बिना अनुज्ञापन प्राधिकार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के पुर्वानुमति के व्यापार परिसर को बंद रखना।

(ख) अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य को किरासन की बिक्री करना।

(ग) अनुज्ञप्ति में निर्धारित स्थल अथवा जिला प्रशासन द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर किरासन तेल भंडारित करना।

(घ) खुदरा विक्रेता की मिलान पंजी अपने पास रखना।

(ड.) अनुज्ञप्ति प्रदत्त व्यापार स्थल अथवा जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदत्त स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर व्यापार से संबंधित अभिलेख रखना।

अध्याय–V

(आवंटन, उठाव, संग्रहण परिवहन एवं वितरण)

23. आवंटन, उठाव, संग्रहण एवं परिवहन

(i) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्नों को दूसरे कार्य के लिए विचलित नहीं किया जायेगा।

(ii) केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जिलावार खाद्यान्नों का उप आवंटन निर्गत किया जायेगा तथा आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह के दौरान निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उठाव कर अपने गोदामों में संग्रहित करेगा। खाद्यान्न उठाने की अंतिम तिथि भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि होगी। आवश्यकतानुसार राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उचित दर की दुकान तक सीधे खाद्यान्नों का परिवहन कर सकेगी।

(iii) जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त/जिला आपूर्ति पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों को खाद्यान्न का आवंटन दुकानवार किया जायेगा। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को खाद्यान्न का उपावंटन करते समय पिछले माह के अवितरित खाद्यान्न का भी हिसाब रखा जायेगा।

(iv) निगम अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से करेगा एवं खाद्यान्न इत्यादि की गुणवत्ता निगम के गोदामों में भी बरकरार रखी जायगी।

(v) डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत उपायुक्त/जिला आपूर्ति पदाधिकारी अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम/निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर उसे जन वितरण प्रणाली की दुकान पर भेजने की व्यवस्था आवंटित माह की पहली तारीख के पूर्व सुनिश्चित करेंगे।

(vi) जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि निगम द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न की सम्पूर्ण मात्रा विभिन्न प्रखण्डों में अवस्थित निगम के गोदामों में पहुँचाने के पश्चात् डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जिले के संबधित प्रखण्ड के उपावंटन सूची के अनुसार खाद्यान्न की शत प्रतिशत मात्रा जन वितरण प्रणाली की दुकान में पहुँचा दिया गया हो। दुकान को माह के आवंटन के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति एकमुश्त की जायगी।

(vii) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी की मास के दौरान उचित दर की दुकान को आवंटित खाद्यान्नों के स्टॉक को उपदर्शित करने वाला आदेश राज्य के वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाए।

(viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से राज्य स्तरीय परिवहन एवं डोर–स्टेप डिलिवरी में प्रयुक्त वाहनों में जी.पी.एस. मार्गन की व्यवस्था लागू की जायेगी।

(ix) राज्य सरकार लाभुकों के खाते में नकद लाभ हस्तांतरण (DBT) की व्यवस्था भी लागू कर सकती है।

24. वितरण

(i) आवंटित संस्था द्वारा राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री उस मात्रा एवं अनुपात में तथा उस रीति से वितरण किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ii) उचित मूल्य दुकान से पात्र गृहस्थियों को यथा अवधारित दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया जाएगा।

(iii) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण माह की 5वीं तारीख से प्रारंभ करेगा :

परन्तु जब किसी कारणवश ऐसा करना संभव न हो तो विक्रेता उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति के सदस्यों को कारणों सहित वितरण प्रारंभ करने की तारीख संसूचित करेगा।

(iv) आवंटिती संस्था और उसके पदाधिकारी उचित मूल्य दुकान को प्रदाय किए गए समस्त उपकरणों के समुचित रख–रखाव एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

(v) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता वितरण के समय राशन कार्ड धारियों से उसकी पहचान हेतु राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेज या जीवमितीय (बायोमेट्रिक) की मांग कर सकेगा।

(vi) यदि राशन कार्डधारक किसी विशिष्ट माह के दौरान उस मास की पात्रतानुसार सामग्री का क्रय नहीं करता है तो वह ऐसी शेष सामग्री अगले माह प्राप्त कर सकेगा। कार्डधारक उसकी निर्धारित पात्रता की सामग्री को एकमुश्त अथवा किश्तों में प्राप्त कर सकेगा।

(vii) किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड होने के उपरान्त ही उसे खाद्यान्न आदि उठाव करने की अनुमति प्रदान होगी परन्तु राशन कार्ड होने मात्र से ही उसे खाद्यान्न आदि प्राप्ति का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसका नाम ई–पॉस मशीन में भी होना चाहिए।

(viii) उचित मूल्य दुकानदार कोई ऐसी सामग्री का वितरण नहीं करेगा जिसकी गुणवत्ता भण्डारण अथवा अन्य किसी कारण से मानव उपयोग के लिए सुरक्षित न रह गई हो।

(ix) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता संबंधित राशन कार्ड धारियों/गृहस्थी के सदस्यों के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं प्रदान नही करेगा:

परन्तु यदि कोई कार्ड धारक और उसके गृहस्थी के सभी वयस्क सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु या निःशक्त है उसकी पात्रता का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री कार्डधारक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिया जा सकेगा। उचित मूल्य दुकान का विक्रेता ऐसे समस्त संव्यवहार वितरण का पृथक से अभिलेख संधारित करेगा।

(x) उचित मूल्य दुकान/तेल कंपनी/थोक व्यापारी तथा उनका प्राधिकृत परिवहनकर्त्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किये जाने वाले नीले केरोसीन का परिवहन, भण्डारण या विक्रय नहीं करेगा।

25. राज्य स्तरीय एवं डोर–स्टेप डिलिवरी में प्रयुक्त परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

(i) यह कि इस आदेश में अन्यथा प्रदान किए जाने के अतिरिक्त सभी परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता;

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा चावल, गेहूँ, नमक, चीनी इत्यादि वस्तुएँ नियमित गुणवत्ता एवं मात्रा में प्राप्ति स्थल से प्राप्त किए जाएँ एवं गुणवत्ता तथा मात्रा में बिना ह्रास हुए सुपुर्दगी स्थल पर हस्तगत करा दें।

(ख) बिना किसी विलंब के वितरण हेतु हस्तगत आवश्यक वस्तुओं का संपूर्ण प्रभार लेंगे एवं परिवहन करेंगे। यदि अपरिहार्य कारणों से गाड़ी खड़ा रखने की आवश्यकता होती है तो निगम अथवा जिला प्रशासन को इसकी सूचना देंगे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के परिवहन कार्य में प्रयुक्त सभी वाहनों में अधिष्ठापित जी.पी.एस. मार्गन यंत्र के रख–रखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी निभाएँगें।

(घ) प्राप्त भंडार के सुरक्षित परिवहन की समुचित व्यवस्था करेंगे एवं परिवहन के क्रम में किसी ह्रास अथवा क्षति हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(ङ.) किसी भी हालत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने व्यापार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा पट्टे/किराये पर नहीं देंगे।

(च) चालक, खलासी, मैनेजर, लिपिक इत्यादि सभी कर्मचारियों को फोटो–युक्त पहचान पत्र प्रदान करेंगे।

(छ) परिवहन विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य वैधानिक प्राधिकार के नियमों, प्रावधानों एवं आदेशों का पालन करेंगे।

(ज) जन वितरण प्रणाली की सामग्रियों के परिवहन एवं हथालन से संबंधित पूर्ण एवं त्रुटिहीन लेखा संधारित करेंगे। साथ ही राज्य सरकार एवं निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित पंजी एवं रिटर्न संधारित करेंगे।

(झ) निगम के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा की शर्तों के अनुपालन सख्ती से करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(ञ) जन वितरण प्रणाली सामग्रियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को अपने लागत पर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट रंग में पेंट कराएँगे एवं निर्धारित रंग एवं आकार में वाहनों पर सूचना अंकित करेंगे।

(त) राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा परिवहन तथा हथालन के उचित प्रबंधन हेतु समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करेंगे।

(ii) राज्य–स्तरीय परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता;

(क) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।

(ख) माह में आवंटित जन वितरण प्रणाली सामग्रियों की पूरी मात्रा प्रति माह भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट गोदाम से प्राप्त कर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट

गोदामों तक समान मात्रा एवं गुणवत्ता में समय–सीमा के अंतर्गत गोदाम प्रभारी को हस्तगत कराएँगें।

(ग) भारतीय खाद्य निगम से गेट पास एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के उठाव प्रभारी से चालान (दो प्रतियों में) की प्रति प्राप्त करेंगे एवं डिलिवरी के उपरांत चालान की मूल प्रति पर गोदाम प्रभारी की पावती प्राप्त करेंगे।

(घ) परिवहन से संबंधित निगम सूचनाओं का संधारण करेंगे,

(a) सामग्री प्राप्ति एवं डिलिवरी की तिथि एवं समय
(b) गोदाम जहाँ डिलीवर किया गया
(c) आवंटन माह
(d) बोरों की संख्या एवं कुल वजन
(v) उठाव हेतु अवशेष मात्रा
(e) वाहन का निबंधन संख्या
(f) वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल संख्या

(iii) **डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्त्ता;**

(क) जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।

(ख) माह में आवंटित जन वितरण प्रणाली सामग्रियों की पूरी मात्रा प्रति माह झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट गोदाम से प्राप्त कर आवंटित उचित मूल्य की दुकान तक समान मात्रा एवं गुणवत्ता में समय–सीमा के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान के अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत कराएँगें।

(ग) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम प्रभारी से चालान (दो प्रतियों में) प्राप्त करेंगे एवं डिलिवरी के उपरांत चालान की मूल प्रति पर अनुज्ञप्तिधारी की पावती प्राप्त करेंगे एवं दूसरी प्रति अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत करायेंगे।

(घ) परिवहन से संबंधित निम्न सूचनाओं का संधारण करेंगे,

(a) सामग्री प्राप्ति एवं डिलिवरी की तिथि एवं समय
(b) दुकान जहाँ डिलिवर किया गया
(c) आवंटन माह
(d) बोरों की संख्या एवं कुल वजन
(e) उठाव हेतु अवशेष मात्रा
(f) वाहन का निबंधन संख्या
(g) वाहन चालक का नाम एवं मोबाईल संख्या
(h) मिलान पंजी

अध्याय–VI
(शर्तों का उल्लंघन)

26. जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं का व्यपवर्तन एवं प्रतिस्थापन

(i) कोई प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के वितरण और हथालन में लगा हुआ है, राशन कार्डधारकों को परिदान तक स्टॉक का व्यपवर्तन, प्रतिस्थापन उसमें मिलावट करने या किसी प्रक्रम पर उसकी चोरी करने में नहीं लगेगा।

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रायोजनों के लिए—

(क) "व्यवपर्तन" से अभिप्रेत है लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन गोदाम से निर्गमित आवश्यक वस्तुओं का विनिर्दिष्ट लाभुकों से भिन्न/व्यक्तियों/स्थानों को अनधिकृत वितरण/परिवहन।

(ख) "प्रतिस्थापन" से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभुकों को वितरण हेतु प्राप्त आवश्यक वस्तुओं को निम्न गुणवत्ता श्रेणी की सदृश आवश्यक वस्तुओं से स्थानापन्न करना।

27. अनुज्ञप्ति का निलंबन एवं रद्दीकरण

(i) निम्नांकित स्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी :

(क) यदि निर्धारित समय पर पूरा माह दुकान खुली नहीं रखते हों ।

(ख) लक्षित उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न आदि उपलब्ध नहीं कराते हों और यदि निर्धारित दर से अधिक दर पर या कम मात्रा में खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराते हों।

(ग) लक्षित परिवारों का राशन कार्ड अपने पास रखतें हों ।

(ध) राशन कार्ड में बिना खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराये गलत प्रविष्टि करते हों ।

(ङ) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार यदि कालाबाजारी में लिप्त रहतें हो तथा खाद्यान्न आदि को खुले बाजार में बेचते हों ।

(च) अपना राशन दुकान दूसरे व्यक्ति/संस्था के माध्यम से चलवाते हों।

(छ) यदि ई—पॉस मशीन सहित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य मशीनों (यथा डिजिटल तौल मशीन) को जान बूझकर नुकसान पहुँचाते हों अथवा स्वेच्छाचारिता से उन मशीनों के उपयोग के बिना खाद्यान्न का वितरण करते हों।

(ii) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तो, कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिखित आदेश द्वारा निलंबित/रद्द किया जायेगा।

(iii) यदि उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो न्यायालय में जब तक मामला विचाराधीन रहेगा तब तक विक्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेंगी।

(iv) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा करना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जायेगा।

(v) अनुज्ञप्ति निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी। अनुज्ञिप्त निलंबन के 90 दिनों के भीतर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत इस विषय में अंतिम निर्णय लेना आवश्यक होगा। 90 दिनों तक अंतिम निर्णय नहीं लिये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति स्वतः निलबनमुक्त मानी जायेगी। यदि 90 दिन की अवधि के अंदर अंतिम निर्णय नहीं लिये जाने के कारण अनुज्ञप्ति निलंबनमुक्त हो जाती है तो अनुज्ञापन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी/संबंधित जिला के उपायुक्त के माध्यम से अंतिम निर्णय नहीं लिये जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(vi) अनुज्ञाप्ति के निलंबन अथवा रद्द होने की स्थिति में खाद्यान्न का आवंटन बंद कर निकटतम उचित मूल्य की दुकान के साथ संबधित विक्रेता के आवंटन को संबद्ध किया जायेगा।

(vii) अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निलंबन के पश्चात अनुभाजन क्षेत्र में अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समहर्ता (आपूर्ति) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी

द्वारा निलंबित दुकानों को निकटतम उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के दुकान के साथ उपभोक्ताओं को संबद्ध किया जायेगा।

(viii) उचित मूल्य की दुकान के साथ संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के उपभोक्ता यथा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार, अन्त्योदय परिवार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को उसी विक्रेता के दुकान के साथ संबद्ध किया जायेगा।

(ix) सामान्य परिस्थिति में दुकान से उपभोक्ताओं की सम्बद्धता में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञापन पदाधिकारी पदाधिकारी द्वारा सकारण आदेश निर्गत किया जायेगा एवं तत्संबंधी को इसकी सूचना दी जायेगी।

28. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोष सिद्धियों का परिणाम

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम 10) के धारा–3 के अधीन किये गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण न्यायालय द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी को सिद्ध दोषी ठहरा दिये जाने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

29. दण्ड

(i) एकरारनामा अथवा आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द करते हुऐ जमा प्रतिभूति की राशि जब्त की जा सकेगी।
यह कि –

(क) अनुज्ञापन पदाधिकारी संबंधित उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना अनुज्ञप्ति तब तक रद्द नहीं कर सकता है जब तक कि उचित मूल्य की दुकानधारक को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो।

(ख) युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञापन पदाधिकारी कारण सहित आदेश पारित कर अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने के पश्चात् दुकानधारक को युक्तियुक्त अवसर देते हुए तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का पालन करते हुए दस दिनों के अंदर कारण बताओं नोटिस जारी करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम आदेश तीन मास के भीतर पारित किया जाए।

(ii) यदि यह पाया जाता है कि उचित मूल्य के दुकानधारक द्वारा किसी ऐसे अपात्र व्यक्ति को खाद्यान्न वितरित कर दिया गया है या खाद्यान्न उपयोगित किया गया है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं हो एवं ई–पॉस मशीन में नाम दर्ज नहीं हो, तो उसका मूल्य जिम्मेवार विक्रेता/कर्मचारी/व्यक्ति से वसूल कर लिया जायेगा।

(iii) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान/सोसाइटी अपने प्रबंधक, विक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस आदेश या केन्द्रीय आदेश की शर्त्तों या राज्य सरकार/आयुक्त/उपायुक्त/अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जारी किये गए किसी निर्देश का उल्लंघन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड (ii) के अनुसार कार्रवाई करेगा और जमा प्रतिभूति की राशि को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर लेगा।

(iv) कालाबाजारी एवं अन्य गंभीर मामलो में कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

30. शास्ति

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा–7 के अधीन दण्ड का दायी होगा।

31. अपील

(i) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने, उसके नवीकरण करने से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियंत्रण आदेश के अंतर्गत प्राधिकृत अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष उक्त आदेश की प्राप्ति के तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उक्त अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(ii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत किरासन तेल के थोक विक्रेता हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने, उसके नवीकरण करने से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियंत्रण आदेश के अंतर्गत खाद्य आयुक्त के समक्ष उक्त आदेश की प्राप्ति के तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उक्त अपील का निपटारा 60 दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(iii) ऐसे किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(iv) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान अपीलीय पदाधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश ऐसी अवधि तक तथा जिसे कंडिका (iii) के अधीन उक्त प्राधिकारी अन्य पक्षकार को युक्तियुक्त अवसर देने के लिए आवश्यक समझें या अपील के निपटारे तक जो पूर्वत्तर हो, प्रभावी नहीं होगा।

(v) अपीलीय पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानदार/किरासन तेल थोक विक्रेता के विरूद्ध अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण आदेश अथवा अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण से मुक्त करने हेतु तर्कसंगत आदेश पारित किया जायेगा।

32. अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्द होने के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं का व्ययन

नियंत्रण आदेश के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध खाद्यान्न /आवश्यक वस्तुओं का भण्डार, अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबन आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी की देख–रेख में संबधित दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर एवं मात्रा के अनुसार वितरित कर प्राप्त राशि अनुज्ञप्तिधरी को वापस कर दी जायेगी।

अध्याय–VII

(अनुश्रवण)

33. जन वितरण प्रणाली के कार्यों का अनुश्रवण

(i) राज्य सरकार/विभाग उचित दर दुकानो की सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन मास में एक बार से अन्यून नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार निरीक्षण अनुसूची, जॉच के बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करेगी।

(ii) राज्य सरकार/विभाग सुनिश्चित करेगी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का स्टॉक, जैसा की निगम के गोदामों से जारी किया जाता है, के भण्डारण, परिवहन या किसी अन्य प्रक्रम पर, जब तक की राशन कार्डधारक को

उसका परिदान नहीं कर दिया जाता है, बदला या उससे छेड़छाड़ नहीं किया जायगा।

(iii) राज्य सरकार/विभाग राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर की दुकान के स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों को करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सतर्कता समितियां स्थापित करेगी।

(iv) सतर्कता समितियों की बैठकें सभी स्तरों पर प्रत्येक तिमाहीं में कम–से–कम एक बार आयोजित की जायेगी और विभाग द्वारा बैठकों की तारीख और अवधि को अधिसूचित किया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार किया जायेगा।

(v) सतर्कता समितियों द्वारा की जाने वाली बैठकों की संख्या को राज्य वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा सतर्कता समितियों की बैठक में विचार–विमर्श किये गये मुद्दों पर की गई कार्रवाई की अगली बैठक में समीक्षा की जायेगी।

(vi) राज्य सरकार/विभाग एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र अधिसूचित करेगी जिसके अंतर्गत टोल फ्री कॉल सेंटर और राज्य वेब पोर्टल का उपयोग भी है।

(vii) राज्य सरकार/विभाग शिकायत निवारण अधिकारी के अद्यतन ब्योरों का व्यापक प्रचार करेगी जैसे कि नाम, टेलीफॉन न0, जिसके अंतर्गत मोबाईल न0, एवं शिकायत निवारण तंत्र के कार्यालय का पता भी शामिल होगा।

(viii) राज्य सरकार/विभाग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र लाभुको के बीच खाद्यान्नों के वितरण से संबन्धित विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण करने के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(ix) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपील राज्य खाद्य आयोग के समक्ष की जायेगी अपील की समय सीमा अंकित करना होगा।

(x) राज्य सरकार/विभाग, शिकायतों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के उपबन्ध 7 के प्रारूप में त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(xi) राज्य सरकार विधि के अधीन उपदर्शित नागरिक चार्टर या केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदर्श नागरिक चार्टर के आधार पर इसे जारी और अंगीकार करेगी।

(xii) राज्य सरकार राज्य में उचित दर की दुकानों के कार्यकरण के संबन्ध में विभिन्न स्तरों पर आवधिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली विहित करेगी, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मंच भी है।

(xiii) राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालनों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी।
स्पष्टीकरण :– इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिए "एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालन" में फायदाग्राही, राशनकार्ड और अन्य डाटा बेसों का डिजिटाइजेशन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र और उचित दर दुकान के स्वचालन से सम्बन्धित कार्याकलाप शामिल हैं।

(xiv) राज्य सरकार/विभाग राशन कार्डधारकों को उनके अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और प्रिंट माध्यमों के साथ उचित दर दुकानों के बाहर प्रदर्शन बोर्डो के माध्यम से शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

34. पारदर्शिता और जवाबदेही–

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा और उन्हें राज्य सरकार/विभाग द्वारा यथाविहित रीति में सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा।

अध्याय–VIII
(प्रकीर्ण)

35. प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्ति

(i) विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से वैसे निरीक्षी पदाधिकारियों; जो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून हो; को नामित किया जायेगा जिन्हें जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिक्री/वितरण के लिए संग्रहित आवश्यक वस्तुओं के परिसर के निरीक्षण/पर्यवेक्षण का अधिकार होगा।

(ii) उप खण्ड (i) के अधीन यदि ऐसे प्राधिकृत निरीक्षी पदाधिकारी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि इस आदेश के अधीन या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या इस आदेश की किसी शर्त का अतिक्रमण हो रहा है, तो ऐसा अधिकारी इस आदेश के उपबंधों एवं शर्त्तों को प्रवृत्त कराने की दृष्टि से किसी भी उचित मूल्य की दुकान, प्रखण्ड गोदाम/थोक बिक्रेता/अर्द्धथोक बिक्रेता/खुदरा बिक्रेता, जहाँ उसे विश्वास करने का कारण हो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न का अवैध भण्डारण किया जा रहा है:, वह उक्त परिसरों या किसी अन्य स्थान का निरीक्षण कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा।

(iii) निरीक्षी पदाधिकारी आवश्यक वस्तुएँ जो भण्डारित की गई हों या ऐसी वस्तुएँ जिन्हें हटाया जाना है या ऐसी वस्तुएँ जिनके बारे में उसे विश्वास करने का कारण हो कि किसी केन्द्रीय आदेश के उल्लंघन में या इस आदेश में अभिकथित शर्त्तों के अतिक्रमण में स्टॉक की गयी है, से संबंधित दस्तावेजों एवं यथा भण्डारित वस्तुओं को अभिग्रहित/मोहरबंद कर सकेगा।

(iv) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के उपबंध, प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण के मामले में लागू होगा।

(v) इस संदर्भ में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, वितरण, बिकी, भण्डारण तथा लेखा से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किया जा सकेगा तथा वजन/गुणवत्ता की भी जाँच कराई जा सकेगी।

(vi) निदेशालय स्तर पर अपर निदेशक/उप निदेशक के नेतृत्व में एक उड़नदस्ता दल गठित होगा इसमें सदस्य के रूप में झारखण्ड आपूर्ति सेवा के दो पणन पदाधिकारी एवं दो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी रहेंगे। यह दल विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकार को निदेशित करेगा।

36. विमुक्ति

नियंत्रण आदेश का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा या उनके निमित आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संचय पर लागू नहीं होगा –

(i) केन्द्रीय सरकार,

(ii) राज्य सरकार,

(iii) राज्य सरकार के अधिकारी, संस्थाएं, संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियाँ;

(iv) कोई केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सहकारी समिति।

37. इस आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी चीज के लिए, जो इस आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

38. आवश्यक निदेश देने की शक्ति

राज्य सरकार/विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिले के उपायुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के योजनाबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निंदेश जारी कर सकेगें और उचित मूल्य की दुकान/सोसाईटी ऐसे निदेशों का अनुसरण क़रने को आबद्ध होगें ।

39. राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति

राज्य सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस आदेश के किसी या समस्त खण्डों के संबंध में लिखित में विशेष आदेश जारी कर सकेगी तथा इस आदेश के किन्हीं उपबंधों से छूट भी दे सकेगी।

40. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

केन्द्र सरकार के दिये गए निदेश के आलोक में हर संभव योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) लागू करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

41. निरसन

(i) नियंत्रण आदेश के अंतर्गत इस आदेश के अधिसूचित होने के पूर्व से उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं के विरूद्ध लंबित कार्रवाई तत्कालीन समय में लागू आदेश के अंतर्गत निष्पादित की जायेंगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क, द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य संचालन, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य अवधि एवं अवकाश, अनुज्ञप्ति का निलंबन तथा रद्दीकरण, तलाशी एवं जब्ती, दण्ड, अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं का व्ययन, अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण, एकरारनामा, अनुज्ञप्तिधारी का पहचान पत्र, अनुज्ञप्ति में व्यापार स्थल का परिवर्तन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोष–सिद्धियों का परिणाम तथा अपील से संबंधित पूर्व में निर्गत पत्र, परिपत्र, आदेश, निदेश एतद् द्वारा विलोपित समझे जायेगें, परंतु जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं से संबंधित आदेश, निदेश, पत्र एवं परिपत्र पूर्व की भाँति लागू रहेंगे।

(iii) उचित मूल्य की दुकान के अनुश्रवण के संबंध में पूर्व में समय समय पर निर्गत परिपत्र जो नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो, लागू रहेगा एवं आदेश के अधीन अधिसूचित समझा जायेगा।

परिशिष्ट–I

{उपखण्ड–22(xiv)(ग) के अधीन}

झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान
(खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग)
"सूचना पट्ट"

दिनांक :– ....

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम :
2. पता :
3. वार्ड संख्या :
4. अनुज्ञप्ति संख्या :
5. दुकान खुलने का समय : प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक।

(प्रत्येक सोमवार को दुकान बन्द रहेगी)

(नोटः–साईज–3'X2' बोर्ड का आकार पीला रंग से उसका आधार तथा उस पर काला रंग से प्रविष्टि की जायेगी)

(यह दुकान के भीतर सुगोचर स्थान पर टंगेगा)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

परिशिष्ट–II

{उपखण्ड–22(xiv)(घ) के अधीन}

"मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन–पट"

दिनांक :– ....

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम :
2. अनुज्ञप्ति संख्या :
3. दुकान से सम्बद्ध राशन कार्ड :

राशन कार्ड के प्रकार		गेहूँ	चावल	आवंटन चीनी	कि०तेल	अन्य
(क) अन्नपूर्णा राशन कार्डों की संख्या	:					
(ख) अन्त्योदय राशन कार्डों की संख्या	:					
(ग) पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ राशन कार्डों की संख्या	:					
(घ) सफेद राशन कार्डों की संख्या	:					

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	आज का भंडार क्विंटल–कि0ग्राम0	आज की प्राप्ति	कुल	दर प्रति किलो/लीटर	प्रति कार्ड/इकाई देय मात्रा	अभ्युक्ति
1	गेहूँ						
2	चावल						
3	चीनी						
4	नमक						
5	किरासन तेल						
6	अन्य						
7							
8							

4. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या (उपभोक्ता जिन्हें शिकायत करेगा) :
5. अनुज्ञापन पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पता तथा दूरभाष संख्या :
6. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या :
7. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का पता, दूरभाष संख्या :
8. ''शिकायत–सह–सुझाव पुस्तिका'' दुकानदार के पास उपलब्ध है। :

नोट :– (1) सूचना–पट्ट का आकार–4' x 2 1/2' होगा।
(2) ''वस्तु का नाम'' कॉलम में दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डों के अनुसार आवंटित वस्तु का नाम लिखा जायेगा।
(3) सूचना–पट्ट का आधार काला रंग से तथा उस पर उजला रंग से सभी प्रविष्टियाँ लिखी जायेगी।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

परिशिष्ट–III

{उपखण्ड–17 के अधीन}

"अनुज्ञप्तिधारी का पहचान पत्र का नमूना"

कार्यालय का नाम : .... पहचान पत्र सं०–

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम : ....
....
2. अनुज्ञप्ति संख्या : ....
3. पता : ....
4. वार्ड संख्या : ....
5. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर : ....
6. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की तिथि तक) : ....

[अनुज्ञप्तिधारी का फोटो]

(स्थानीय मुखिया / वार्ड आयुक्त / वार्ड पार्षद् द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा)

पणन पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुज्ञापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट–IV

{उपखण्ड–17 के अधीन}

"अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधिं का पहचान पत्र का नमूना"

कार्यालय का नाम : .... पहचान पत्र सं०–

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम : ....
....

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो

(स्थानीय मुखिया/वार्ड आयुक्त/वार्ड पार्षद् द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा)

2. अनुज्ञप्ति संख्या : ....
3. पता : ....
4. मनोनीत प्रतिनिधि का नाम एवं पता : ....
5. मनोनीत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर : ....
6. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर : ....
7. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की तिथि तक) : ....

पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुज्ञापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–I

{उपखण्ड–10(vi) के अधीन}

"झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए आवेदन पत्र"

सेवा में,

अनुज्ञापन पदाधिकारी,

....

.... ।

महोदय,

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017' के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विशिष्टियाँ निम्न प्रकार है :–

1. आवेदक की विशिष्टियाँ

   (क) नाम : ....

   (ख) शैक्षणिक योग्यता : ....

   (ग) पिता / पति का नाम : ....

   (घ) आयु : ....

2. आवेदक के निवास स्थान का पता (स्थायी तथा वर्तमान)

   (क) मकान संख्या / होल्डिंग नं० : ....

   (ख) मोहल्ला / वार्ड नं० : ....

   (ग) ग्राम / कस्बा / प्रखण्ड : ....

   (घ) थाना : ....

   (ड.) जिला : ....

3. व्यापार स्थल का विवरण

   (क) ग्राम / वार्ड नं० (मुहल्ला सहित), जहाँ के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है – : ....

   (ख) मकान / दुकान संख्या : ....

   (ग) होल्डिंग नं० : ....

   (घ) क्षेत्रफल : ....

   (ड.) खाता नं० : ....

   (च) खेसरा नं० : ....

   (छ) चौहदी : ....

   ....

   ....

   ....

   (ज) मुहल्ला / वार्ड नं० : ....

   (झ) ग्राम / शहर : ....

   (ञ) थाना : ....

(ट) जिला : ....

4. दुकान का स्थान अपना है या किराया का? अगर किराया का है तो किरायानामा का प्रति संलग्न करें। : ....

5. क्या आवदेक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, विवरण दें : ....

....

....

6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण गत तीन वर्षो के दौरान कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोषी तो नहीं ठहराया गया है? : ....

7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोषी ठहराया गया है? : ....

8. क्या आवेदक के उपर कोई आपराधिक मामला तो लंबित नहीं है? : ....

9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित तो नहीं हैं? : ....

10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में हैं? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें। : ....

11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है? : ....

मैं .... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त मद संख्या 1 से 11 में वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में उल्लेखित तथ्य असत्य पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होउँगा।

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017' के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान : ....

दिनांक : ....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र–II

{उपखण्ड–16 के अधीन}

"झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र"

अनुज्ञप्ति संख्या	:	....	अनुज्ञप्तिधारी का फोटो (सम्बन्धित क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)
चालान संख्या	:	....	
तारीख	:	....	
अनुज्ञप्तिधारी का नाम	:	....	
पिता / पति का नाम	:	....	
पता	:	....	

कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

1. 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017' के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अधीन श्री .... को जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और संवितरण को नियमित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थान पर करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है –

   भंडारण स्थान का विवरण

   (क) खाता : ....
   (ख) खेसरा : ....
   (ग) होल्डिंग नं० : ....
   (घ) दुकान का क्षेत्रफल : ....
   (ङ.) दुकान का विवरण : ....
   (च) पता : ....
   (छ) दुकान की चौहदी : ....
   ....
   ....
   ....
   (ज) दुकान किराये पर है तो दुकान मालिक का नाम एवं पता : ....
   ....
   ....

2. आवश्यक वस्तुओं का विवरण

   (क) खाद्यान्न : ....
   (ख) खाद्य तेल : ....
   (ग) किरासन तेल : ....
   (घ) चीनी : ....
   (ङ.) कपड़ा : ....
   (च) अन्य वस्तुएँ : ....

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MOMENTUM JHARKHAND

3. (क) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में भंडार और बिक्री पंजी संधारित करेगा। क्रमांक–2 में वर्णित आवश्यक वस्तुओं का मात्रा पंजियों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा –

(i) खाद्यान्न–क्विंटल या किलोग्राम में

(ii) नमक/खाद्य तेल/किरासन तेल–लीटर में

(ख) अनुज्ञप्तिधारी भंडार पंजी में सभी प्रविष्टियाँ अगले दिन दुकान खुलने के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कर लेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी निगोशियेबल इंस्ट्रूमेन्ट ऐक्ट, 1981 के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश/साप्ताहिक बंदी के दिनों को छोड़कर, प्रतिदिन दुकान खोलेगा तथा "सूचना पट्ट" दुकान के बाहर एवं "मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट्ट" दुकान के अन्दर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0, अन्त्योदय और अन्नपूर्णा लाभान्वितों की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवयश्क वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर वितरण करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी, आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित कीमत से उच्चत्तर कीमत पर सम्बद्ध उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं का बिक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमेमो (परिशिष्ट–5 के अनुसार) देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उनका हस्ताक्षर/निशान लेगा। कैशमेमो का कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगा जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, पता भी मुद्रित रहेगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात् उसके राशन कार्ड पर आपूर्ति की प्रविष्टि कर राशन कार्ड सम्बन्धित उपभोक्ता को लौटा देगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न का उठाव करते समय सम्बन्धित गोदाम से उसका एक "संयुक्त नमूना" भी प्राप्त करेगा तथा उसे दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी कारबार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उससे मांग की जाय, सही–सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो समय–समय पर राज्य सरकार/विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिले के उपायुक्त द्वारा दिया जाय।

12. अनुज्ञप्तिधारी अपने दुकान में आवश्यक वस्तुओं का भंडार तथा लेखाओं/पंजियों का निरीक्षण करने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं की परीक्षण हेतु उनके नमूना लेने के लिए निरीक्षी पदाधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधाएं देगा।

13. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा "निरीक्षण पुस्तिका" और "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" संधारित की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न की क्वालिटी, मात्रा एवं राशन लेने के दौरान पेश आई अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में शिकायतें/सुझाव दर्ज करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" उपलब्ध करायेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी सभी अनुज्ञप्ति तथा सभी प्रकार की पंजी/पुस्तिका एवं कैशमेमो दुकान में ही रखेगा।

15. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित स्थिति में रखेगा तथा भूमि की नमी, वर्षा, कीटों, कृतकों, चिड़ियों, आग एवं ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाली हानि से बचाने का आवश्यक उपाय करेगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी उर्वरकों, कीटनाशी, औषधियों तथा विषैले रासायनिक पदार्थों के साथ खाद्यान्न का भंडारण नहीं करेगा।

17. अनुज्ञप्तिधारी सही वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये तराजू, बटखारा एवं अन्य उपकरण का सत्यापन माप तौल विभाग से ससमय कराकर दुकान में रखेगा।

18. अनुज्ञप्तिधारी मास के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अवशेष स्टॉक का हिसाब

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी निर्देश के आलोक में देगा और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को भी देगा।

19. अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा संवितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों का पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा मांगी जाय।

20. कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत की दुकान के स्वामी (अनुज्ञप्तिधारी) के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित फीस रू0 10/– (दस) व फोटो कॉपी का व्यय जमा करने एवं लिखित अनुरोध पर; लिखित अनुरोध एवं शुल्क प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों के भीतर ऐसे उद्धरण प्रदान करेगा।

21. अनुज्ञप्तिधारी एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी सरकारी सेवा में नहीं है/किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है तथा अपनी अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति को कार्यकाल तक हस्तान्तरित नहीं करेंगे।

22. यह अनुज्ञप्ति ..../......../.................. तक विधिमान्य होगा।

स्थान : ....

दिनांक : ....

(अनुज्ञापन पदाधिकारी)
नाम, पदनाम एवं कार्यालय का
मुहर

प्रपत्र–III

{उपखण्ड–10(vii) के अधीन}

"नवीकरण आवेदन"

सेवा में,

अनुज्ञापन पदाधिकारी,

....

.... ।

महोदय,

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017' के उपबंधों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या .... के नवीकरण के लिये, इसके द्वारा आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विशिष्टियाँ निम्न प्रकार है :–

1. चालान संख्या .... तारीख .... द्वारा निक्षिप्त नवीकरण शुल्क .... / विलम्ब शुल्क ....
2. अनुज्ञप्ति संख्या : ....
3. अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि : ....
4. अनुज्ञप्ति किस नाम से है : ....
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की गयी कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण : ....

मैं .... इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है तथा उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

अनुज्ञप्तिधारी का
हस्ताक्षर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

प्रपत्र–IV

{उपखण्ड–20(vi) के अधीन}

"भण्डार पंजी"

(योजनावार)

1 जन वितरण प्रणाली दुकानदार का नाम : ....

2 व्यापार स्थल का पता : ....

3 ग्राम : ....

4 पंचायत : ....

5 प्रखण्ड : ....

6 जिला : ....

7 अनुज्ञप्ति संख्या : ....

8 योजना का नाम : अन्त्योदय/पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ (तदनुसार कार्ड की संख्या)

माह का नाम : .... मद/सामग्री/उपावंटित मात्रा

तिथि	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	कुल मात्रा	निर्गत मात्रा	राशन कार्ड की संख्या	अंतिम अवशेष	अभ्युक्ति

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MOMENTUM JHARKHAND

प्रपत्र–V

{उपखण्ड–20(vi) के अधीन}

"अन्त्योदय अन्न योजना विक्रय पंजी"

माह का नाम : ....

जन वितरण प्रणाली दुकान का नामः– ....

जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या :– ....

क्रम. सं.	राशन कार्ड नम्बर	परिवार का मुखिया	सदस्यों की संख्या	निर्गत तिथि	मात्रा	दर	कुल मूल्य	कार्डधारी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7	8	9

"पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना विक्रय पंजी"

माह का नाम : ....

जन वितरण प्रणाली दुकान का नामः– ....

जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या :– ....

क्रम. सं.	राशन कार्ड नम्बर	परिवार का मुखिया	सदस्यों की संख्या	निर्गत खाद्यान्न : @5किलोग्राम प्रतिमाह प्रति व्यक्ति		निर्गत तिथि	मात्रा	दर	कुल मूल्य	कार्डधारी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान
				चावल (कि०ग्रा०)	गेहूँ (कि०ग्रा०)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

"पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना विक्रय पंजी"

जन वितरण प्रणाली दुकान का नामः– ....

अनुज्ञप्ति संख्या :– ....

निर्गत सामग्री : किरासन तेल

क्रम. सं.	राशन कार्ड नम्बर	परिवार का मुखिया	सदस्यों की संख्या	निर्गत तिथि	दर	निर्गत मात्रा (लीटर में)	कुल मूल्य	कार्डधारी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

प्रपत्र–VI

{उपखण्ड–20(ix) के अधीन}

"मासिक प्रतिवेदन"

1. नाम : ……………………………………
2. पता : ……………………………………
3. अनुज्ञप्ति संख्या : ……………………………………
4. वाहन का पंजीकरण संख्या एवं उसकी विवरणी (जिससे सामान की आपूर्ति प्राप्त हुई हो) : ……………………………………
5. गोदाम विवरणी (जहाँ सामग्री रखा गया हो) : ……………………………………
6. प्रतिवेदित माह में प्रारंभिक स्टॉक : गेहूँ– ………… चावल– …………
   चीनी– ………… नमक– …………
   किरासन तेल– ………… अन्य– …………
7. प्रतिवेदित माह में प्राप्ति : गेहूँ– ………… चावल– …………
   चीनी– ………… नमक– …………
   किरासन तेल– ………… अन्य– …………
8. प्रतिवेदित माह में विक्रय : गेहूँ– ………… चावल– …………
   चीनी– ………… नमक– …………
   किरासन तेल– ………… अन्य– …………
9. प्रतिवेदित माह में अवशेष स्टॉक : गेहूँ– ………… चावल– …………
   चीनी– ………… नमक– …………
   किरासन तेल– ………… अन्य– …………
10. वैसे राशन कार्ड की संख्या जिन्होंने संबंधित माह में उठाव नहीं किया है। उन सभी का राशन कार्ड नम्बर ……………………………………

स्थान : ……………………………………

दिनांक : ……………………………………

अनुज्ञप्तिधारी का
हस्ताक्षर

प्रपत्र–VII

{उपखण्ड–10(ix) के अधीन}

"झारखण्ड व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापत्र एकीकरण"

1. अनुज्ञप्ति संख्या ....
थोक / खुदरा
2. चालान संख्या .... तारीख .... द्वारा निक्षिप्त
प्रतिभूति रूपया ....
3. व्यापारी का नाम, भागीदारों, यदि कोई हो, के साथ –
(क) ....
(ख) ....
(ग) ....

–: निबन्धन तथा शर्ते :–

1. झारखण्ड व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापत्र एकीकरण आदेश 1984 के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन / श्री / सर्व श्री .... को नीचे व्यापारिक वस्तुओं का क्रय, विक्रय हेतु भण्डारण करने के लिए, इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है :–

थोक विक्रेता के रूप में	खुदरा विक्रेता के रूप में
i)	i) ....
ii)	ii) ....
iii)	iii) ....
iv)	iv) ....
v)	v) ....

2. क) अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त व्यापारिक वस्तुओं का कारबार निम्नलिखित स्थान पर करेगा।
ख) उन व्यापारिक वस्तुओं का जिनका की पूर्वोक्ति कारोबार किया जाना है, भण्डारण नीचे वर्णित गोदामों से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जायेगा :–
i)
ii)
iii)
iv)
v)

टिप्पणी :– यदि अनुज्ञप्तिधारी का आशय व्यापारिक वस्तुओं का भण्डारण ऊपर विनिर्दिष्ट स्थान से भिन्न स्थान पर व्यापारिक वस्तुओं के वास्तविक भण्डारण से बहत्तर घंटे की कालावधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचना देगा। वह ऊपर वर्णित सूचना देने से एक पखवारा के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञप्ति भी पेश करेगा ताकि अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके।

3. (क) अनुज्ञप्तिधारी पैरा 1 में वर्णित व्यापारिक वस्तुओं के लिए पुरूप "च" में दैनिक लेखों का एक स्टाक पंजी रखेगा जिसमें निम्न तथ्य सही बतायें जाएगें।
(क) प्रत्येक दिन का प्रारंभिक स्टाक
(ख) प्रतिदिन प्राप्त मात्रा, वह स्थान जहाँ से और वह श्रोत जिससे प्राप्त हुई।
(ग) प्रतिदिन, परिदत या अन्यथा हटायी गयी मात्रा गंतव्य स्थान बताते हुए तथा

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

(घ) प्रत्येक दिन का अंतिम स्टाक।

स्पष्टीकरण :– अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं के लिए एकाधिकार स्टाक रजिस्टर रख सकेगा और प्रत्येक व्यापारिक वस्तु के लिए पृथक–पृथक पृष्ट आवंटित कर सकेगा।

परन्तु :– क) किन्तु खाद्यान्न, चीनी एवं वनस्पति के खुदरा बिक्रेता के लिए खाद्यान्न, चीनी और वनस्पति का स्टाक पंजी संधारित करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी टेलीफोन पर या बिल्टर के माध्यम से या अन्यथा व्यापारिक वस्तुओं के क्रय या विक्रय के संबंधों में किये गये समस्त सव्यवहार स्टाक रजिस्टर के प्रविष्ट करेगा। यदि क्रय की गई व्यापारिक वस्तुएं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई संव्यवहार करने की तारीख को वस्तुतः प्राप्त नहीं होती है, तो स्टाक रजिस्टर में इस निमित एक टिप्पणी अभिलिखित की जायेगी।

(ग) विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं को मात्रा स्टाक रजिस्टर में निम्नलिखितानुसार प्रविष्ट की जायेगी :–

i) खाद्यान्न, चीनी तिलहन तथा दालें........................ क्विंटलों या किलोग्राम में।

ii) खाद्य तेल .... पोपों / किलोग्राम में / लीटर में।

iii) कोयला ....क्विंटलों या किलोग्राम में।

iv) किरासन तेल ....लीटर में।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी जब तक युक्तियुक्त है तक से निवारित न हो जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, स्टाक रजिस्टर में प्रतिदिन की प्रविष्टियाँ अधिक से अधिक अगले दिन की संव्यवहार प्रारम्भ करने से पूर्व पूरी कर लेगा।

(ड़) कोई अनुज्ञप्तिधारी जो स्वयं खाद्यान्नों, तिलहनों एवं दलहनों का उत्पादक है, स्वयं के उत्पादक के स्टाक को स्टाक रजिस्टर में अलग से दर्शित करेगा, यदि ऐसे स्टाक का भण्डारण उसके कारबार परिसर में किया जाता है।

4. अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के या आवश्यक वस्तुओं से संबंधित तत्समय प्रवृत अन्य किसी विधि के उपबन्धों का उल्लेख नहीं करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी :–

(i) ऐसा कोई संव्यवहार नहीं करेगा जिसमें व्यापारिक वस्तुओं के सट्टे की ऐसी नीति से जो बाजार में उनका प्रदाय बनाये रखने पर तथा असानी से उनकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वी ही, क्रय विक्रय या विकायार्थ भण्डारण उन्तवलित हो।

(ii) किसी व्यापारिक वस्तु की कीमतों तथा स्टाक की सूची में विनिर्दिष्ट कीमत पर उच्चतर कीमत पर न तो बेचेगा और न बेचने का प्रस्ताव करेगा।

(iii) विक्रयार्थ रखी गई किसी व्यापारिक वस्तु को कीमते तथा स्टाक की सूची में ऐसी वस्तु के संबंध में विनिर्दिष्ट कीमत से किसी व्यक्ति को बेचने से इंकार नहीं करेगा तथा

(iv) व्यापारिक वस्तुओं के खण्ड 18 के अधीन नियत सीमाओं से अधिक स्टाक की अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी, झारखण्ड आवश्यक वस्तु मूल्य एवं स्टाक प्रदर्शन आदेश 1977 तथा उसमें सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार हिन्दी में विभिन्न वस्तुओं का स्टाक एवं मूल्य व्यापार परिसर या उसके सन्निकट सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारिक वस्तु के प्रत्येक ग्राहक का स्वयं का नाम तथा अनुज्ञप्ति संख्या ग्राहक का नाम, पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या, यदि कोई हो स्वयं व्यापार की नाम विहित

मात्रा तथा प्रभारित कीमत का उल्लेख करते हुए यथास्थिति एक नकद पत्र या बीजक जारी करेगा। वह उसकी दूसरी प्रति अपने पास रखेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निहित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवायी जायेगी।

परन्तु किसी खुदरा विक्रेता के लिए व्यापारिक वस्तु के संबंध में जिसकी कीमत 10 रूपये से अधिक न हो तो ऐसा कोई नगद पत्र या बीजक जारी करना या ऐसी दूसरी प्रति रखना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि ग्राहक द्वारा उसकी माँग न की जाए।

8. अनुज्ञप्तिधारी कारबार से संबंधित ऐसी सूचना जिसकी उससे माँग की जाए सही–सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो समय–समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी दुकान गोदाम से या अन्य स्थानों पर जिनका उपयोग वह भंडारण विक्रय या क्रय के लिए करता है अपने स्टाक तथा लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए तथा खण्ड 1 में वर्णित व्यापारिक वस्तुओं की परीक्षा हेतु उनके नमूने लेने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर सुविधाएँ देगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसी किसी निर्देश का पालन करेगा जो उसे इन व्यापारिक वस्तुओं के क्रय–विक्रय तथा विक्रायर्थ भंडारण के संबंध में और उस भाषा के संबंध में जिसमें रजिस्टर, विवर्णियों रसीदें, या बिजक लिखे जाएगें तथा उपर पैरा 3 में दर्णित रजिस्टर के अधिप्रमापन, तथा उसे रखने के संबंध में राज्य सरकार या कलक्टर या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के संबंध में ऐसे संबंधित ऐसी निर्देशों का जो उस दशा में जबकि वह किसी विनियमित बाजार में कृत्य करता हो अधिकारिता रखने वाले विपणन प्राधिकारी द्वारा उसे दिये जाये किसी अन्य दशा में ऐसे निकाय द्वारा दिये जाये, जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके निमित मान्यता प्रदान की गई हो पालन करेगा।

12. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारियाँ यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा कि उसके द्वारा भंडार में रखी गई व्यापारिक वस्तुएँ उचित स्थिति में रखी जाती है तथा भूमि की नमी तथा वर्षा, कीटों, कृतकों चिडियों, आग तथा ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाली हानि से बचाया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों तथा विषैली रसायनिक पदार्थों का जिनसे ऐसी वस्तुओं से सदूषित होने की संभावना हो भंडारण उन्हीं गोदामों में इस वस्तुओं के साथ या व्यापारिक वस्तुओं के स्टाक के ठीक सन्निकट नहीं किया जाता।

13. अनुज्ञप्तिधारी ग्राहक या व्यापारिक को व्यपारिक वस्तुओं का प्रदाय या विक्रय उसी मात्रा या वजन तथा उसी कीमत के अनुसार करेगा जो अपेष्टक/पैकेज पर अंकित है किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा कोई सीमा अनुज्ञप्ति हो तो उसे अंकित मात्रा या वजन में से घटा दिया जायेगा।

14. यह अनुज्ञप्ति नवीकरण के आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी।

15. यह अनुज्ञप्ति ..../............/20...... तक विधिमान्य होगी।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

परिवारिक विवरणी

पता

ग्राम / मोहल्ला–.................................

वार्ड सं० (शहरी क्षेत्र के लिए)–.................. मतदान केन्द्र संख्या –..................

पंचायत–.................. प्रखण्ड–..................

थाना–.................. जिला–..................

खातेदार का नाम : ....
(परिवार का कोई भी सदस्य)

बैंक का नाम : ....

बैंक शाखा का नाम : ....

बैंक खाता संख्या:

आई.एफ.एस.सी. कोड :

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम	उम्र	महिला / पुरूष	महिला मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8
1					स्वयं		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

नोट :– परिवार के मुखिया अथवा कम–से–कम एक सदस्य का आधार संख्या (आधार कार्ड का छायाप्रति) संलग्न करना अनिवार्य है।

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

प्रपत्र–VII

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हुए परिवारों का स्वघोषणा–पत्र–सह–व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरणी :–

स्व घोषणा–पत्र

मैं ....
......पिता/पति–..
...........श्रेणी –सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु–................. झारखण्ड पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ। ☐
2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है एवं अन्त्योदय अथवा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ की श्रेणी का राशन कार्ड नहीं है। ☐

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गतल/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता/अनुदान का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान : .... हस्ताक्षर : ....

दिनांक : .... नाम : ....

नोटः– परिवार की व्यस्क महिला सदस्या, परिवार की मुखिया होंगी। परिवार में व्यस्क महिला न होने की स्थिति में पुरूष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

(संलग्न – पार पृष्ठ पर परिवार की सूची)

पता

वार्ड सं० –

मोहल्ला –

मतदान केन्द्र संख्या –

थाना –

शहरी क्षेत्र

परिवार की सूची

खातेदार का नाम : ....
(परिवार का कोई भी सदस्य)

बैंक का नाम : ....

बैंक शाखा का नाम : ....

बैंक खाता संख्याः

आई.एफ.एस.सी. कोड :

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	महिला / पुरूष	महिला मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8
1					स्वयं		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

नोट :–

1. परिवार के प्रत्येक सदस्य जिसका आधार नं० प्रविष्ट किया गया है उसके आधार कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
2. परिवार के किसी एक सदस्य का आवासीय प्रमाण–पत्र अथवा आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ड्राईविंग लाईसेंस अथवा अन्य कोई सरकारी कागजात की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
3. व्यक्तिगत आधार पर आवेदन देने वाले व्यक्ति सिर्फ अपना नाम एवं विवरण क्रम संख्या (1) में अंकित करेंगे तथा पारिवारिक आधार पर आवेदन करने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों का नाम एवं विवरण अंकित करेंगे।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MOMENTUM JHARKHAND

शुल्क उपलब्ध

प्रपत्र–VIII (B)

शहरी क्षेत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु स्वघोषणा–पत्र–सह–व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरणी :–

समावेशन मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा–पत्र

मैं ....

.. पिता/पति–..

.... श्रेणी –सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु–.................

झारखण्ड पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. मैं और मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्याम/प्रकम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत नहीं हैं,

2. व्यक्तिगत आधार पर –
   - (i) मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हूँ अथवा, ☐
   - (ii) मैं विधवा या परित्यक्ता हूँ अथवा, ☐
   - (iii) मैं निःशक्त व्यक्ति हूँ एवं मेरी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है अथवा, ☐
   - (iv) मैं कैंसर/एड्स/कुष्ठ या अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ अथवा, ☐
   - (v) मैं भिखारी या गृहविहिन व्यक्ति हूँ। ☐

3. पारिवारिक आधार पर –
   - (i) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाडूकश (Sweeper) अथवा, ☐
   - (ii) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/ राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) /रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela Puller) अथवा, ☐
   - (iii) फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)। ☐

[जो भी लागू हो उसे टिक (✓) लगा दें।]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गतल/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते है तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नही लूँगा/लूँगी।

हस्ताक्षर : ....

स्थान : ....

नाम : ....

दिनांक : ....

नोटः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार परिवार की व्यस्क महिला सदस्या, परिवार की मुखिया होगी। परिवार में व्यस्क महिला न होने की स्थिति में पुरूष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

(संलग्न – परिवार की सूची)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MOMENTUM JHARKHAND

पता

वार्ड / टोला –
ग्राम –
मतदान केन्द्र संख्या –
पंचायत –
प्रखण्ड –

ग्रामीण क्षेत्र

खातेदार का नाम : ....

बैंक का नाम : ....

बैंक शाखा का नाम : ....

बैंक खाता संख्या:

आई.एफ.एस.सी. कोड :

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम	उम्र	महिला / पुरूष	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7
1						

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

नोट :– आधार संख्या प्रविष्ट किये जाने पर आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MOMENTUM JHARKHAND

निःशुल्क उपलब्ध

प्रपत्र–VIII (A)

ग्रामीण क्षेत्र
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु स्वघोषणा–पत्र–सह–व्यक्तिगत विवरणी :–

समावेशन मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा–पत्र

मैं ....

.. पिता/पति–...

.... श्रेणी –सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु–.................. झारखण्ड पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. मैं और मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्याम/प्रकम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत नहीं हैं, ☐

2. (i) मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हूँ अथवा, ☐

   (ii) मैं विधवा या परित्यक्ता हूँ अथवा, ☐

   (iii) मैं निःशक्त व्यक्ति हूँ एवं मेरी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है अथवा, ☐

   (iv) मैं कैंसर/एड्स/कुष्ठ या अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ अथवा, ☐

   (v) मैं भिखारी या गृहविहिन व्यक्ति हूँ।

[जो लागू हो उसे टिक (✓) लगा दें।]

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गतल/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते है तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नही लूँगा/लूँगी।

स्थान : .... हस्ताक्षर : ....

दिनांक : .... नाम : ....

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

परिवारिक विवरणी

पता

ग्राम :–
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :–
पंचायत :–
प्रखण्ड :–
मतदान केन्द्र संख्या :–

ज०वि०प्र० दुकानदार/वितरक का नाम :

अनुज्ञप्ति संख्या :

वर्तमान कार्ड का प्रकार :

☐ अन्त्योदय ☐ अन्य/कोई कार्ड नहीं

खातेदार का नाम : ....
(परिवार का कोई भी सदस्य)
बैंक का नाम : ....
बैंक शाखा का नाम : ....
बैंक खाता संख्याः
आई.एफ.एस.सी. कोड :

क्र० सं०	सदस्य का नाम	लिंग	पिता/पति	उम्र	महिला / पुरूष	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						स्वयं		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

नोट :– परिवार के प्रत्येक सदस्य जिसका आधार न० प्रविष्ट किया गया है उसके आधार कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND

नि:शुल्क

प्रपत्र–IX

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत अपवर्जन मानक के आधार पर सम्मिलित किये जाने हेतु स्वघोषणा–पत्र–सह–परिवारिक विवरणी :–

अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा–पत्र

मैं ....
.. पिता/पति–...
.... श्रेणी –सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु–.................. झारखण्ड पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पषर्द/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियाजित नहीं है, अथवा
2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर नहीं देता है, अथवा
3. मेरे या मेरे परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, अथवा
4. मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन नहीं हैं, अथवा
5. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं हैं, अथवा
6. मेरे या मेरे परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वॉशींग मशीन नहीं हैं, अथवा
7. मेरे या मेरे परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान नहीं है, अथवा
8. मेरे या मेरे परिवार के पास मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) नहीं है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गतल/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते है तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नही लूँगा/लूँगी।

स्थान : ....   हस्ताक्षर : ....

दिनांक : ....   नाम : ....

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MOMENTUM JHARKHAND

2. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017 से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक 126, दिनांक 11.01.2017 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.01.2017 के मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० / विविध–36 / 2010 –................ / राँची, दिनांक –
प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० / विविध–36 / 2010 –300 / राँची, दिनांक – 19.01.17
प्रतिलिपि–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त, झारखण्ड / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / महाप्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड / निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड / सभी कोषागार / सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17
सरकार के सचिव।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
MOMENTUM JHARKHAND